:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूँगरपूर राजस्थान ::
पीठासीन अधिकारी :– मनसुखराम डामोर आर.ए.एस.
मूकदमा नम्बरः– 9/24

1. श्री कमलेश पिता धनपाल जाति कलाल निवासी चिखली तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
2. गीता पत्नी स्वर्गीय धनपाल जाति कलाल निवासी चिखली तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
3. पवन पिता धनपाल जाति कलाल निवासी चिखली तहसील चिखली जिला डूंगरपुर ।
4. हितेश पिता धनपाल जाति कलाल निवासी चिखली तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।

बनाम

1. श्री अशोक पिता भूरा कटारा जाति भील निवासी कटारापाडा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
2. श्री मुकेश पिता जयशंकर कटारा जाति भील निवासी कटारापाडा तहसील चिखली।
3. श्री सरदार पिता पुना कटारा जाति भील निवासी कटारापाडा तहसील चिखली।
4. श्री नगजी पिता पूना कटारा जाति भील निवासी कटारापाडा तहसील चिखली।
5. श्री भुमिधारी तहसीलदार चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू राजस्व अधिनियम सपठित धारा 151 जा.दी.</u>

उपस्थितः–

1. श्री गौतमलाल रोत वकील प्रार्थीगण।
2. श्री गजेन्द्र डिण्डोर वकील अप्रार्थीगण।

निर्णय

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि प्रार्थी गावं चिखली व अप्रार्थीगण गांव कटारापाडा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान के स्थायी निवासी है। प्रार्थी खेतीबाडी कर अपना व अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा है।

यह कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी मौजा कटारापाडा में खाता संख्या 81 खसरा नम्बर 1088/1017 खेत किता 1 कुल रकबा 1.1326 है0 एवं इसी प्रकार मौजा कटारापाडा में खाता संख्या 82 खसरा नम्बर 1163/1017 खेत किता 1 कुल रकबा 0.1214 है0 होकर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है।

यह कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी होने से अप्रार्थीगण जबरन झंगडा फंसाद कर परेशान करते है। वादग्रस्त भूमि पर अतिकमण करने प्रार्थी से झंगडा फंसाद व जान से मारने की धमकिया देते है। जबकि प्रार्थी की रिकॉर्डेड आराजी है। जिस पर विवाद करने से लगातार विवाद बढने से प्रार्थना पत्र कारण लगातार उत्पन्न होने लगा।

यह कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी में सीमा में पूर्व में की गई पत्थरों की निशानदेही को खुर्द बुर्द कर दिया। प्रार्थी को बेदखल करने की नियत से वादग्रस्त आराजी में घुस गये। जबकि प्रार्थी के कमाई का एकमात्र जरीया कृषि है। ऐसे में वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने पर वंचित हो जाएगा। तथा प्रार्थी का परिवार भुखा मर जाएगा। प्रार्थी को भारी आर्थिक क्षति होगी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है।

यह कि अप्रार्थीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबन्द किये जाने आवश्यक है कि वे प्रार्थी के कब्जे काश्त की मौजा कटारापाडा में खाता संख्या 81 खसरा नम्बर 1088/1017 खेत किता 1 कुल रकवा 1.1326 है0 एवं इसी प्रकार मौजा कटारापाडा में खाता संख्या 82 खसरा नम्बर 1063/1017 खेत किता 1 कुल रकवा 0.1214 है0 वादग्रस्त आराजी का पत्थर गढी कराने आदेश फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री गजेन्द्र डिण्डोर ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। 16.08.2024 को वकुलाय पक्षकार उपस्थित, वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया पत्रावली वास्ते तहसीलदार रिपोर्ट में नियत की गई। पत्रावली दिनांक 15.01.2025 को पेश हुई।

तहसीलदार चिखली उपस्थित होकर राजहीत प्रभाहीत नहीं होना बताया एवं कोई आपत्ति नहीं जाहिर की। वकुलाया पक्षकार की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। अतः पत्रावाली में उपलब्ध साक्ष्य एवं तथ्यों के आधार पर मै निर्णय करना उचित समझता हूँ।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खाता संख्या 81 खसरा नम्बर 1088/1017 खेत किता 1 कुल रकबा 1.1326 है0 एवं इसी प्रकार मौजा कटारापाडा में खाता संख्या 82 खसरा नम्बर 1063/1017 खेत किता 1 कुल रकबा 0.1214 है0 ग्राम कटारापाडा तहसील चिखली की फर्द पैमाईश दिनांक 12.12.2022 के अनुसार पत्थरगढी की जावें। पत्थरगढी कार्य हेतु नियमानुसार शुल्क प्रार्थी तहसील चिखली में जमा करावे शुल्क जमा होने पर तहसीलदार चिखली पत्थरगढी कार्य सम्पन्न करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2025 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनसुखराम डामोर)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली